

1982 Feb 1983

5294

1139 / 8317cc
25 / 2

भारत सरकार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 18.11.1983

जीविपूवना

आयकर

सं० 994 (सं० 169/5/81-आ0क0(नि0-1)) : आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 45) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रत्यक्ष करियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिनांक 197-1980 की अपनी जीविपूवना सं० 3541 का अधिसूचना करते हुए, उत्तरधारा दिनांक 20 जुलाई, 1974 की, संशुद्धि पर अधिसूचित सं० जीविपूवना सं० 679 (सं० 167/2/74-आ0क0(नि0-1)) की संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित अधिसूचना करना है। सं० 13 तथा 15-क के सामने स्तम्भ (1), (2), तथा (3) के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी :-

अनुसूची

आयकर अधिनियम अधिनियम

क्षेत्राधिकार

13- सीडीन

सीडीन

- 1- सीडीन परिमंडल, र्णाकुलम
- 2- आयकर परिमंडल, र्णाकुलम
- 3- सीडीन परिमंडल, र्णाकुलम
- 4- सीडीन परिमंडल, र्णाकुलम
- 5- केडीन परिमंडल, र्णाकुलम
- 6- आयकर परिमंडल, र्णाकुलम महदनगरी
- 7- आयकर परिमंडल, केडीन
- 8- आयकर परिमंडल, त्रिपुर
- 9- आयकर परिमंडल, रातवाट
- 10- आयकर परिमंडल, कातीकट
- 11- आयकर परिमंडल- II, कातीकट
- 12- आयकर परिमंडल, कन्नौर
- 13- आयकर परिमंडल, कासारगोड
- 14- आयकर तथा सवका शुल्क परिमंडल, र्णाकुलम
- 15- आयकर तथा सवका शुल्क परिमंडल, त्रिपुर

A-29/83
25/2

क्र. सं.	विषय	परिचय
1.	अध्यक्ष	परिचय, विवेक
2.	उप-अध्यक्ष	परिचय, विवेक
3.	सचिव	परिचय, विवेक
4.	उप-सचिव	परिचय, विवेक
5.	अध्यक्ष	परिचय, विवेक
6.	उप-अध्यक्ष	परिचय, विवेक
7.	सचिव	परिचय, विवेक

यह अधिसूचना 2 अक्टूबर, 1962 से प्रभावी होगी ।

(⁶¹मिलर के)

अवर सचिव, राष्ट्रीय प्रयास पर बोर्ड

के. आर. भैं,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, सवापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली ।